बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 16 मई, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के तहत भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में आठ (08) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं– पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत पाँच (05) एवं सहरसा जिलांतर्गत तीन (03)। इस संदर्भ में आठ (08) एफआईआर दर्ज हैं। बक्सर जिलांतर्गत निर्वाचक को प्रलोभन पहुँचाने के संदर्भ में तीन (03) मामलें प्रतिवेदित हैं।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 15.05.2024 को कुल **₹8.60780**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–46334.85(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹53.38532**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹131.22927**(लाख) रूपये मूल्य के 317479.25(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹473.28499**(लाख) रूपये मूल्य की 43810.74 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹666.50738**(लाख) रूपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।